



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय/Regional Office

पंचदीप भवन, ई.डी.सी.प्लॉट सं.23, पाट्टो, पणजी, गोवा-403001
Panchdeep Bhavan, EDC Plot No. 23, Patto, Panaji, Goa-403001
Phone: 0832-2438853 ई-मेल/E-mail : rd-goa@esic.nic.in,
वेबसाइट/Website : www.esic.nic.in
Toll free no-1800-11-2526/3839 Fax No-0832-2438858

संख्या : 32-ए-49/14/02/2023-रा.भा.

दिनांक : 07.04.2025

आदेश

विषय : राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अधीन हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना कार्यालयीन काम हिंदी में करने हेतु व्यक्तिशः आदेश।

भारत सरकार, राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में किया जाना अपेक्षित है। आपके द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार आप हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हैं। अतः उपर्युक्त नियम के अधीन आपको यह आदेश दिया जाता है कि आप अपना समस्त कार्यालयीन कार्य हिंदी में ही करना सुनिश्चित करें।

(मनीष कुमार)

क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी)

श्री/श्रीमती/शु. मनीष कुमार मीणा, सहायक
क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गोवा